विचार बिन्दु

बिना मांगे किसी को उपदेश ना दो। –जर्मन कहावत

इलेक्टोरल बॉन्ड बंद होने के बाद गोटी फिर पहले खाने में

अपने बहुप्रतीक्षित फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय की एक पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बांड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए समाप्त कर दिया है। अदालत ने आदेश दिया कि भारतीय स्टेट बैंक, जो यह बॉन्ड जारी करती थी, को छह साल पुरानी योजना में बॉन्ड खरीदने वालों तथा सिकारने वालों की सूची निर्वाचन आयोग को दे जो उसे अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करेगी। एसबीआई ने अब सारी सूचना निर्वाचन आयोग को दे दी है जिसने उसे अपने वेबसाइट पर डाल कर सार्वजनिक कर दिया है। लेकिन कुछ लोगों को यदि लगा कि एसबीआई के आंकड़े सार्वजनिक होते ही लोकसभा चुनावों से पहले बड़ा राजनैतिक भूचाल आ जाएगा वैसा कुछ नहीं हुआ। किसने चुनावी चंदा दिया और किसने लिया उसके आंकड़े यह नहीं बताते कि लेनदेन क्या किन्ही हितों को साधने के लिये हुआ? लेकिन अभी मामला समाप्त नहीं हो गया है। इन आंकड़ों पर गहन अध्ययन चलेगा और लेनदेन के पीछे के उद्देश्यों पर लंबे समय तक आरोप लगते रहेंगे। सर्वोच्च अदालत का फैसला इस बात को लेकर नहीं है कि किसने किसी को चुनावी चन्दा क्यों दिया। उसने माना है कि चुनावी चंदे देने वाले के बारे में जानकारी का खुलासा न करना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के अनुसार मतदाता के सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। सरकार की यह दलील अदालत ने नहीं मानी कि चंदा प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को चन्दा देने वाले की पहचान के बारे में पता नहीं होता है क्योंकि न तो बांड पर देने वाले का नाम होता है और न ही बैंक राजनीतिक दल को यह जानकारी दे सकता है। फैसले में कहा गया है कि हालांकि चंदा देने वाले के नाम की गोपनीयता चुनावी बांड के कानून की मुख्य विशेषता है, किन्तु चंदा देने वालों की वैधानिक गोपनीयता वास्तविक गोपनीयता में तब्दील नहीं होती है। योजना फूलप्रूफ नहीं है। इस योजना में पर्याप्त कमियां हैं जिनसे राजनीतिक दलों को पता होता है कि उन्हें किसने चन्दा दिया है। अदालत ने माना कि किसी एक व्यक्ति की तुलना में किसी कंपनी की राजनीतिक चंदे से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। राजनीतिक दलों को दिए गए धन की मात्रा और ऐसे चंदा देने के उद्देश्य दोनों के संदर्भ में यह प्रभावी होता है। अदालत ने कहा कि व्यक्तियों द्वारा दिये जाने वाले चंदे में किसी राजनीतिक संगठन के प्रति समर्थन या संबद्धता की भावना होती है जबकि कंपनियों द्वारा किया गया योगदान पूरी तरह से व्यावसायिक लेनदेन होता है, जो बदले में लाभ हासिल करने के इरादे से किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद चुनावों में धन के खेल की बहस फिर वहीं पहुंच गई है जहां वह इलेक्टोरल बॉन्ड योजना लागू होने से पहले थी। केंद्र सरकार का अदालत में कहना था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना यह सुनिश्चित करने की एक विधि के रूप में लाई गई थी जिससे सफेद धन का उपयोग उचित बैंकिंग चैनलों के माध्यम से राजनीतिक वित्तपोषण के लिए किया जाए। सरकार का यह भी तर्क था कि दानदाताओं की पहचान गोपनीय रखना इसलिए जरूरी होती है ताकि उन्हें राजनीतिक दलों से प्रतिशोध का सामना न करना पड़े। उपलब्ध आंकड़े यह दिलचस्प जानकारी देते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से अधिकांश योगदान उन राजनीतिक दलों को गया जो केंद्र और राज्यों में सत्तारूढ़ दल हैं और सभी राजनैतिक दलों के हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड बंद हो जाने से चुनावी फंडिंग का उचित स्त्रोत खोजने की फिर से मंथन शुरु करना होगी। इस तरह देखें तो गोटी फिर से पहले खाने में आ गई है।

चुनावी चंदों में पारदर्शिता लाने का उद्देश्य बताते हुए सबसे पहले 2017 के अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इलेक्टोरल बॉन्ड की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि आज़ादी के 70 साल बाद भी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के लिए जरूरी देश राजनैतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे का कोई पारदर्शी तरीका नहीं बन पाया है। हालांकि इससे पहले भी कुछ सुधार किये गये थे। एक तो यह किया गया था कि जो कंपनियां राजनैतिक दलों को चंदा देती हैं उन्हें वह खर्च अपने खातों में दिखाना होगा। दूसरा यह कि राजनैतिक दलों को एक साथ मिलने वाले बीस हजार रुपये से अधिक की नकद राशि के चंदे की सूचना निर्वाचन आयोग को देनी होगी। मगर सरकार की तरफ से कहा गया कि अधिकतर राजनैतिक पार्टियां अज्ञात स्त्रोतों से नकद चंदा पाती हैं। कंपनियां खुले तौर पर चैक से इसलिए राजनैतिक दलों को चंदा नहीं देती क्योंकि उन्हें अपनी पहचान जाहिर होने पर बुरे नतीजे भुगतने का डर होता है। इसके लिए सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रस्ताव किया जो अधिकृत बैंकों से दानदाता द्वारा चैक या डिजिटल भुगतान से खरीदे जा सकते हों। उन बॉन्ड को राजनैतिक दलों के निर्धारित बैंक खातों में एक निश्चित अवधि में जमा कराया जा सकता था। उन्होंने नकद चंदे की अधिकतम राशि भी प्रति व्यक्ति दो हजार रुपये कर दी। इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था लागू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक तथा आयकर कानूनों में संशोधन किया गया ताकि केंद्र सरकार किसी बैंक को एलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने के लिए प्राधिकृत कर सके। इसके अलावा आयकर कानून में संशोधन करके एलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने की राशि को 88 जीजीबी में उनकी आय से घटाने की व्यवस्था भी की गई। इन सारे संशोधनों को भी शीर्ष अदालत ने अब रद्द कर दिया है। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जो अपने बजट भाषण में यह प्रस्ताव लेकर आये थे, वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष रह चुके थे। इस प्रस्ताव पर खूब विवाद भी हुआ। विरोधी राजनैतिक दलों को चिंता थी कि इससे कॉर्पोरेट जगत से मिलने वाला सारा चंदा सत्तारूढ़ दल हड़प जाएगा। लेकिन जेटली का कहना था कि उनकी अपनी बीजेपी जैसी पार्टी को भी 90 प्रतिशत चंदा नकद में मिलता है और उसे ऐसे चंदों को बीस-बीस हजार रुपयों के टुकडों में दिखाया जाता है ताकि वास्तविक चंदा देने वालों की जानकारी नहीं देनी पड़े तथा उनकी पहचान गोपनीय रह सके। हालांकि उन्होंने यह भी माना था कि वे इलेक्टोरल बॉन्ड का जो प्रस्ताव कर रहे हैं वह न तो सर्वश्रेष्ठ है और न पूर्ण पारदर्शिता वाला है, लेकिन वह तत्कालीन व्यवस्था से बेहतर है। कंपनियों को अपने खातों में पारदर्शी तरीके से ऐसे चंदे दिखाने होंगे। बस इतना ही होगा कि उन्होंने किसको चंदा दिया है वह उजागर नहीं होगा।

वैसे पार्टियों के पास चुनावों में पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ-साथ चेक और कैश जैसे अन्य रास्तों से भी आता रहा है। इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्धारित चुनाव खर्च सीमा को उम्मीदवार कैसे धता बताते हैं वह भी किसी से छुपा नहीं है। मगर शीर्ष अदालत ने कोई विकल्प निर्देशित नहीं किया है। इस फैसले के बाद हम फिर वहीं पुराने समय में पहुंच चुके हैं जहां पार्टियों को 70 प्रतिशत चंदा नकद के रूप में मिलता था।

यह जानना भी दिलचस्प होगा कि निर्वाचन आयोग शुरू से एलेक्टोरल बॉन्ड के सिद्धांततः खिलाफ था। दूसरी तरफ भारतीय रिजर्व बैंक को भी चिंता थी कि कहीं ये बियरर बॉन्ड न बन जाए तथा पैसों की हेराफेरी के काम में न आने लगें। तत्कालीन चुनाव आयुक्तों में से एक ओ. पी. रावत ने तो इलेक्टोरल बॉन्ड की आलोचना करते हुए सार्वजनिक बयान तक दिया था। उन्हें खतरा था कि इससे फर्जी कंपनियों द्वारा राजनैतिक चंदा देने की प्रथा बढ़ेगी। हालांकि अन्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा मोटे तौर पर इस राय के थे कि इस मामले में फ़ैसला सरकार को लेना है। मुख्य चुनाव आयुक्त अचल कुमार जोटी भी सहमत थे कि बॉन्ड पारदर्शी हैं लेकिन वे इस पाबंदी से सहमत नहीं थे कि बॉन्ड से चंदा वे राजनैतिक दल ही ले सकेंगे जिन्होंने पिछले चुनावों में एक प्रतिशत वोट पाये हों। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना का विरोध करते हुए सर्वोच्च अदालत में गई जिस पर निर्वाचन आयोग ने भी अपना शपथ पत्र प्रस्तुत कियाथा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ऊर्जित पटेल ने भी सरकार को चिट्ठी लिख कर सवाल खड़ा किया था कि आरबीआई के अलावा और कोई अन्य बैंक बॉन्ड कैसे जारी कर रही है? मगर इसके लिए सरकार आरबीआई कानून में पहले ही संशोधन कर चुकी थी। केंद्र सरकार ने बॉन्ड जारी करने के लिए केवल भारतीय स्टेट बैंक को अधिकृत किया। इलेक्टोरल बॉन्ड पर केंद्र सरकार के ही विधि मंत्रालय ने भी अनेक अड़ंगे लगाये थे। अन्ततः 2018 की जनवरी में इलेक्टोरल बॉन्ड की अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) अधिसूचना जारी होने के पहले ही उसे रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गई। मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका पर कोई स्थगन आदेश नहीं दिया। अब इस अदालत का जो फैसला आया है उससे यह सवाल स्वाभाविक ही पूछा जा रहा है कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक क़रार देने मात्र से से चुनावी राजनीति में धन-बल का प्रभाव समाप्त हो जाएगा? वैसे पार्टियों के पास चुनावों में पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ-साथ चेक और कैश जैसे अन्य रास्तों से भी आता रहा है। इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्धारित चुनाव खर्च सीमा को उम्मीदवार कैसे धता बताते हैं वह भी किसी से छुपा नहीं है। मगर शीर्ष अदालत ने कोई विकल्प निर्देशित नहीं किया है। इस फैसले के बाद हम फिर वहीं पुराने समय में पहुंच चुके हैं जहां पार्टियों को 70 प्रतिशत चंदा नकद के रूप में मिलता था।

राजनीतिक दलों के खर्च पर नजर रखने वाली संस्था सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज का अनुमान है कि विभिन्न राजनीतिक दल द्वारा मौजूद लोकसभा चुनाव में लगभग 14.4 अरब डॉलर खर्च कर सकते हैं। यदि वह 70 प्रतिशत नकदी में होता है तो काले धन की कैसी व्यवस्था पनपेगी इसका अंदाजा कोई नहीं लगा रहा है, भले ही सभी काले धन को जड़-मूल से समाप्त करना चाहते हैं।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक

पानी से जूझते राज्य को नई उम्मीद

डॉ. सुरेन्द्र सिंह

इस सृष्टि की रचना जल से हुई है और मनुष्य ही नहीं समूची सृष्टि को निर्मित करने वाले पंच भूतों में एक जल भी है। मानव जाति का इतिहास भी जल से जुड़ा है। प्रकृति की उत्पत्ति जल के बिना संभव नहीं है। अधिकांश सभ्यताओं का विकास भी नदियों के किनारे ही हुआ है। हम राजस्थान वासियों से बेहतर पानी का महत्व कौन समझ सकता है हजारों सालों से हमारे पूर्वजों ने इस रेगिस्तान में अमृत से मूल्यवान पानी को पारम्परिक तरीकों से संचित करके न केवल अपना जीवन-यापन किया वरन एक समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को भी रचा। 21वीं सदी आते-आते राज्य में बढ़ती आबादी की आवश्यकता के अनुरूप जल की उपलब्धतता सुनिश्चित की जानी जरूरी थी। पांच दशक पहले पश्चिम राजस्थान को जीवन देने वाली राजस्थान नहर परियोजना जिसे वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से जाना जाता है की योजना बनाई गई जो रेगीस्तानी के लिए भागीरथी प्रयास था। यह नहर आज 9 जिलों की प्यास बुझा रही है। इसी तर्ज पर पूर्वी राजस्थान के लिए लंबे समय से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की मांग चलती आ रही है, वहीं नदी जल बंटवारे में यमुना नदी से राजस्थान के हिस्से के पानी को शेखावटी क्षेत्र में लाने की मांग भी लंबे समय से जारी है।

राजस्थान विधानसभा 2023 के चुनाव के बाद राज्य में बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले दो महीनों में दो महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं को शुरू करने का प्रयास कर प्यासे राजस्थान को पानी पहुंचाने की ऐतिहासिक योजना की तरफ आगे बढ़ी है। राज्य सरकार और केन्द्रीय जलशक्ति मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना और यमुना नदी से राजस्थान के हिस्से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

पूर्वी राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण कदमः- वर्ष 2004 में तात्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में नदियों को जोड़ने की परियोजना पर काम शुरू हुआ था। इसी के तहत पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) परियोजना 2004 में सरकार द्वारा बनाई गई थी। इसमें 1360 एम सी एम जल उपयोग नियोजित किया जाना था। मध्यप्रदेश के मोहनपुर, कुडलिया और पाटनपुर में तीन जल भंडार बनाये जाने थे जिससे राजस्थान के 43 हजार हैक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाना था, लेकिन राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच सहमति न होने के कारण यह परियोजना निष्क्रिय हो गई थी। इसी तरह पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए राजस्थान सरकार ने नवम्बर 2016 में वेप्कोस को ईआरसीपी परियोजना की डीपीआर तैयार करने के लिए काम सौंपा था और नवम्बर 2017 में वेप्कोस ने डीपीआर तैयार करके राजस्थान सरकार को सौंप दी थी। इस परियोजना में राजस्थान के 13 जिलों अलवर, भरतपुर, धौलपुर करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी कोटा, बारां, और झालावाड़ को पेयजल उपलब्ध कराने एवं नई कमांड एरिया विकसित करने के लिए यह परियोजना बनाई गई थी, जिसके तहत 9 जिलें 2 लाख हैक्टेयर भूमि में से 80 हजार हैक्टेयर भूमि को कमांड करने और औद्योगिक आवश्यकता के लिए 286 एमसीएम पानी देने के लिए 40 हजार करोड़ की लागत के साथ परियोजना बनाई गई थी। इस परियोजना में भी मध्यप्रदेश सरकार की सहमति न मिल पाने के कारण कोई उल्लेखनीय प्रगति न हो सकी। इसी तरह पिछली कांठोस सरकार के समय नवनीरा, गुलवा, बीसलपुर, ईसराद (एनजीबीआई) लिक योजना 2023 में तैयार की गई थी, जो जयपुर, अजमेर और टोंक तीनों जिलों को 520 एमसीएम पानी उपलब्ध कराने के लिए तैयार की गई थी। इस परियोजना के अन्तर्गत सिंचाई की कोई घटक नियोजित नहीं थी। इस परियोजना पर भी अन्तर्राज्य सहमति मध्यप्रदेश से ली जानी आवश्यक थी, लेकिन मध्यप्रदेश सरकार ने अपनी सहमति देने से इंकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में जाकर राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस परियोजना पर रोक लगाने की मांग की।

मई 2019 में केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जल शक्ति जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय में राजस्थान को प्रतिनिधित्व मिलने से इस प्यासे राज्य को नई उम्मीद जगी। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह की अगुवाई में राज्य ने विभिन्न जल परियोजनों को पूर्ण करने की दिशा में सहमति बनने के प्रयास शुरू किये गये परंतु तात्कालिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के असहयोग के चलते कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा सके। राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम में एक बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई जब राजस्थान और मध्यप्रदेश की सरकारों ने एक सामुहिक पत्र पर हस्ताक्षर किये तथा उक्त तीनों योजनाओं को एकजुट करते हुए संशोधित पीकेसी- ईआरसीपी आईएलआर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया। इसमें 13 जिलों को पीने का पानी, लगभग 2 लाख हैक्टेयर में नया कमांड क्षेत्र बनाने, 9 जिलों में लगभग 80 हजार हैक्टेयर की मौजूदा कमांड को स्थिर करने तथा उद्योगों को पानी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। मध्यप्रदेश में भी इसके जल संग्रहण क्षेत्र से इसी तरह के उपयोग की परियोजना बनाई गई है। इसे दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना बनाकर राष्ट्रीय परिपेक्ष्य योजना के तहत नदियों को जोड़ने की परियोजना के रूप में विकसित किया जाना है। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि कुल परियोजना लागत का 90 फीसदी हिस्सा केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाने की सहमति दी गई है। भारत सरकार की नदियों के जोड़ने की टास्क फोर्स टीएफआईएलआर द्वारा इस परियोजना पर पूर्ण अध्ययन किया गया है और तकनीकी पहलुओं की गहन जांच के बार इसे स्वीकार किया गया है। दोनों राज्यों की स्वीकृति से बनने वाली डीपीआर में परियोजना में काम का दायरा, पानी का बंटवारा और पानी के आदान-प्रदान पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। खास बात यह है कि इसमें राज्य सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। 90 फीसदी वित पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा तथा पिछली योजना के मुकाबले इस योजना में बढ़ोतरी करते हुए 3677 एमसीएम पानी राजस्थान के उपयोग के लिए मिलेगा।

यमुना जल में राजस्थान का हिस्साः- 12 मई 1994 के एमओयू के अनुसार यमुना नदी के जल में राजस्थान के हिस्से का 577 एमसीएम पानी उपलब्ध कराया जाना निर्धारित किया गया था। उस समझौते के तहत राजस्थान के भरतपूर जिले को 1981 क्यूसेक तथा झुन्झुनु जिले एवं चुरू जिले के राजगढ़ ब्लॉक को 1917 क्यूसेक पानी मिलना तय हुआ था। फरवरी 2018 में यमुना रिव्यू कमेटी ने अपनी सातवीं बैठक में राज्य सरकार को सलाह दी थी कि यमुना के ताजेवाला हेड से राजस्थान के हिस्से के पानी को झुन्झुनु और चुरू जिलें में उपलब्ध कराये जाने के लिए डीपीआर तैयार करे, परंतु इस दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई। राज्य में नई सरकार के गठन के साथ ही हरियाणा और राजस्थान राज्य के बीच केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत की पहल पर नई डीपीआर बनाई जाने के लिए ऐतिहासिक सहमति बनी है। हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से राजस्थान के चुरू झुन्झुनु और सीकर जिलों में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी देने हेतु दोनों राज्यों के बीच डीपीआर को लेकर सहमति बनी है। जिसमें हरियाणा से अंडरग्राउण्ड पाइपलाइन के जरिये राजस्थान को पानी दिया जाएगा। राजस्थान को 577 एमसीएम पानी मिलेगा, जिससे पेयजन और सिंचाई की जरूरतें पूरी होगी। अपर यमुना बैसिंग में 3 जल भंडारण रेणुकली, लखवार और किशाउ चिन्हित किये गये हैं जहां से राजस्थान को हथिनीकुंड बैराज से निर्धारित अवधि के दौरान जल उपलब्ध कराया जायेगा। निश्चित ही पानी से जुझते राजस्थान के निवासियों के लिए दोनों कदम मील के पत्थर साबित होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के साथ तत्परता से इन दोनों परियोजनाओं के लिए एमओयू किया है वह निश्चित ही यह उम्मीद जगाता है कि भविष्य में इन योजनाओं की शीघ्र शुरूआत होगी।

डॉ. सुरेन्द्र सिंह,
बीकानेर

जनता के पैसे से जनता को कैसी सौगात? (-व्यंग्य-)

महावीर सिंह

वैसे तो छठ-बारोह महीने ही किन्तु किसी भी विधान सभा-लोकसभा के चुनाव के पहले बारंबार अखबार, टीवी आदि पर बार-बार एक शब्द का बेजा उपयोग होता है--सौगात?

उस मंत्री ने, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने यह सौगात, वह सौगात दी। बड़ी-बडी सार्वजनिक सभाएं जनता के पैसे को पानी की तरह बहाकर आयोजित की जाती है और अंत में एक व्यक्ति अवतरित होता है, वह कोई नए बने पुल,भवन,सड़क, नई चली रेलगाड़ी-चील गाडी आदि का फीता काटकर, हरी झंडी दिखाकर, जनता को समर्पित करता है। कई बार तो पूरे देश-प्रदेश के लिए, एक ही जगह से दर्जनों सौगातें देदी जाती है। इस व्यक्ति के कानफोड़ू, चिल्लपों से सारहीन भाषण के बाद में रिपोर्ट करने वाले पत्रकार व उनके अखवार, टी वी चैनल्स उसे मंत्री द्वारा जनता को दी गई सौगात बात कर एक दो दिन लगातार प्रचारित करते हैं।

एक बार गांव के एक साधारण से आदमी ने किसी भाई साहब से पुछ लिया-भाई साहब, यह सौगात क्या चीज है, कैसे मिलती है, कितनी मंहगी है और यह किन्ही खास लोगों के लिए है या मेरे जैसे गरीबों, मजदूरों, गांव-मोहल्ले वालों के लिए भी होती है?

शहरी भाई साहब बताने लगे मंत्री लोग रात-दिन काम करके सड़क, रेल इंजन व डब्बे, पुल, रेल गाड़ी--चीलगाडी, बड़े-बड़े भवन आदि बनवाते हैं, वे उन्हें जनता को देते हैं, उसे सौगत मान लो।

उसने दूसरा प्रश्न छोड़ दिया--तो फिर ये लोग आए दिन हजारों न हजारों लोगों को इक्कठा करके ऐसा करते रहते है, इतना सारा पैसा कहाँ से लाते हैं? भाई साहब ने थोड़ा चिड़चिड़ाते से उतर दिया कि सरकार जो बजट बनाती है, वहां से यह पैसा आता है।

और बजट में कहां से? बजट में विभिन्न टैक्स लगते हैं, कर्जा लिया जाता है, वहां से इन सब सौगातों और उनके प्रचार-प्रसार-उद्घाटन-लोकार्पण का भी खर्चा आता है।

ओर यह कर्जा चुकाता कोन है? उतर देने वाले भाई साहब, हो गए परेशान, चलने लगे तो किसी ओर ने कह दिया, चुकाती है जनता।

पहले वाले झक्की आदमी ने फिर कह दिया, तो यों हुआ कि जनता से टैक्स वसूली करो, जनता ही कर्ज चुकाए और जनता हजारों हजार की संख्या में आये और सौगात नाम की वस्तु को देख-सुन जाए। भाई साहब झल्ला कर पिंड छूड़ा कर चले गए।

गांव वालों में से एक थोड़ा समझदार आदमी बोला--देखो सौगात का अर्थ है---भेंट, उपहार आदि और यह सब देने वाला अपनी कमाई से देता है। जनता के पैसे से जनता को कैसी सौगात? सौगात देने वाले और उसका ऐसा भजन गान करने वाले जनता को, वस्तुतः मूर्ख समझते है जो कतई नहीं है--सब जानती है।

ज्यादा से ज्यादा सरकारें परिवार मुखियाओं-मतदाताओं को एक लंबी सी चिठी लिख कर बता दें कि उन्होंने यह यह कार्य करवाए हैं। हो गया न प्रचार प्रसार। यह रैलियों-सभाओं में भीड़ जुटा कर, सौगाते बांटने का झंझट खत्म। अभी तक चुप एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा वैसे भी नेताओं के भाषणों में होता भी क्या है? सिवाय एक दूसरे की घटिया दर्जे की, काफी कुछ झूठी आलोचनाएं करना। एक दूसरे को भ्रष्ट कहना। अपने आप को ईमानदार कहना, दूसरे के दामन को काला कलंकित बताना। मकान की छत पर खड़े होकर, नींव को पूर्णतः भुला कर कहता है-देखो मैंने जनता को छत पर पहुंच दिया, अब बस, आसमान से तारे तोड़ कर लाने बाकी है, सो अगले 5,10 साल में ले ही आएंगे। यह दूसरे नहीं कर सके, न अब कर सकेंगे। दूसरों को परिवारवादी और खुद को महान आदर्शवादी-राष्ट्रवादी-लोकतंत्र के सबसे बड़े हिमायती बताना। हर पार्टी स्वयं की जो रही आलोचना का उत्तर दूसरों की वैसी ही झूठी-सच्ची मिलती-जुलती कहानी सुना कर देती है मानों दूसरों की गलती से उनकी गलती धुल गई हो--वगैराह वैगैराह। यह सब सुनने के लिए बड़ी-बड़ी सभाओं का आयोजन कर सौगातें देने का ड्रामा किया जाता है।

वैसे जनता भी मुफ्त में तमाशा देखने और ताली बजाने को तैयार मिलती है-उनको मजा ही तब आता है जब कर्कश आवाज में सामने वालों की छीछालेदर की जाए। यह नहीं तो क्या सभा, क्या सौगात?

महावीर सिंह,
पूर्व आईएएस

पी.एम. फसल बीमा योजना में किसानों को क्लेम का इंतजार

हनुमानगढ़, (निसं)। बीमा कंपनी की मनमानी की वजह से जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का समुचित लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। तीन-चार वर्ष पुराने प्रकरण बीमा कंपनी स्तर पर लंबित है, परंतु इसका निस्तारण आज तक नहीं हुआ है। बड़े स्तर पर किसान आंदोलन भी कर चुके हैं, लेकिन बीमा कंपनी पर इसका असर नजर नहीं आ रहा। इस बीच हाल ही में जिला मुख्यालय पर निगरानी समिति की संपन्न बैठक में कुछ राहत की बातें सामने आई है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ 2023 में फसल बीमा कंपनी एआईसी की ओर से जिले में आयोजित 354 फसल कटाई प्रयोग पर आक्षेप लगाए गए थे। इन आपत्तियों पर निर्णय लेने के लिए हुई निगरानी समिति की बैठक में कलेक्टर कानाराम ने बीमा कंपनी के उक्त आक्षेप को नकार दिया है। बैठक में सभी आक्षेप का निस्तारण कर बीमा कंपनी को दस दिवस में क्लेम भुगतान का आदेश पारित किया गया है। इस तरह क्लेम भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। कंपनी की ओर से अब क्लेम सेटलमेंट सहित अन्य प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इससे हजारों किसानों को राहत मिलने के आसार हैं। जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उनको अब नियमानुसार क्लेम मिल सकेगा।

हनुमानगढ़ जिले में रबी 2022-23 में कुल 25 लाख 14 हजार पॉलिसी धारकों से बीमा कंपनी ने 276 करोड़ का प्रीमियम वसूला था। जबकि 2 मार्च 2024 तक करीब 10 लाख पॉलिसी धारकों को 267 करोड़ का क्लेम जारी किया गया है। जिले में खरीफ 2022 में 27 लाख 23 हजार फसल बीमा पॉलिसी हुई थी, इनमें बीमा कंपनी ने 214 करोड़

■ बीमा कंपनी की मनमानी की वजह से जिले में योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है

रुपए का प्रीमियम वसूल किया था। इसमें 2 मार्च 2024 तक 8 लाख 88 हजार पॉलिसी धारक किसान को 85 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम जारी किया गया है।

बीआर बाकोलिया, सहायक निदेशक, कृषि विभाग हनुमानगढ़ का कहना है कि फसल कटाई प्रयोग पर बीमा कंपनी की ओर से लगाए गए आक्षेप को नकार दिया गया है। बीमा कंपनी को कलेम भुगतान के लिए पाबंद किया गया है। इस संबंध में बीमा कंपनी के अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है।

इस साल मानसून कमजोर रहने का अनुमान लगाया

बीकानेर, (निसं)।मौसम विभाग के सटीक पूर्वानुमानों के बीच बीकानेर के गंगाशहर उपनगर में मौसम की भविष्यवाणी करने की अनूठी परंपरा करीब डेढ़ सदी से चल रही है। इसके तहत होलिका दहन के दिन रविवार को एक साल पूर्व होलिका दहन के दिन ही जमीन में पांच फीट गहरी दबी पानी से भरी मटकी खोदने पर वह सूखी निकली। ऐसे में इस साल मानसून कमजोर रहने की घोषणा की गई है। वहीं मटकी के ऊपर जड़ों के मिलने से यह भी पूर्वानुमान लगाया गया है कि पशुओं के लिए चारे की कमी नहीं होगी।

जानकारी के अनुसार गंगाशहर में चांदमलजी के बाग के पास स्थित खारिए कुएं के पास गंगाशहर की स्थापना के समय से हर साल होलिका दहन के दिन पानी से भरी मटकी जमीन में गाड़ने व अगले वर्ष दहन के दिन ही सुबह जमीन से मटकी निकालने तथा उसमें पानी की स्थिति को देखकर जमाने (मौसम) की घोषणा करने की परंपरा चल रही है। रविवार को सुबह करीब नौ बजे क्षेत्र के सर्वसमाज के लोगों ने जैसे ही गत वर्ष जमींदोज पानी की मटकी निकाली तो सर्वसम्मति से इस वर्ष जमाना कमजोर रहने की घोषणा की।

इस परंपरा से पिछले छह दशक से जुड़े विनोद ओझा ने बताया कि देशनोक से करीब 140 साल पूर्व माहेश्वरी, ओझा समाज के साथ सर्व समाज के लोग यहां पर आए और गंगाशहर की स्थापना हुई। स्थापना के समय से ही होलिका दहन का कार्यक्रम लगातार यहां चल रहा है। उन्होंने बताया कि इस परंपरा की शुरुआत पंडित भोमाराम ओझा की ओर से करीब 140 साल पूर्व की गई, जो आज भी निरंतर जारी है। त्रिलोक चन्द भठ्ठड़ ने बताया कि सर्वसमाज के लोग यहां पर एकत्रित होते हैं और पिछले साल जमीन में दबी पानी से भरी मटकी को निकालते हैं। इसके बाद फिर उसी समय पूजा-अर्चना के साथ नई मटकी को करीब पांच फीट गहरे गड्ढे में गाड़ने की परंपरा कई दशकों से चल रही है।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 27 मार्च, 2024

चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2080, चित्रा नक्षत्र सांय 4:16 तक, व्याघात योग रात्रि 10:33 तक, गर करण सांय 5:07 तक, चन्द्रमा आज तुला राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-मीन, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-कुम्भ, बुध-मीन, गुरू-मेष, शुक्र-कुम्भ, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज राजयोग सांय 4:16 तक है। आज भाईदोज और कमलदान पूजा और सन्त तुकाराम जयन्ती और चित्र गुप्त पूजा है।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:30 तक, शुभ 11:01 से 12:32 तक, चर 3:35 से 5:06 तक, लाभ 5:06 से सूर्यास्त तक।

राहूकालः 12:00 से 1:40 तक। सूर्योदय 6:27, सूर्यास्त 6:38

मेष

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष

मित्रों/रिश्तेदारों से चल रहे मतभेद समाप्त होंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

मिथुन

परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

कर्क

घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को उच्चाधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है।

सिंह

व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

कन्या

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

तुला

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।

धनु

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। आर्थिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिल सकता है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सोच-विचार हो सकता है।

मकर

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ

व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

मीन

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।